रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 6 अप्रैल, 1989/16 चैत्र, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-4, 6 अप्रैल, 1989

संख्या एल० एल० आर० (डी) (6) 14/88-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 31 मार्च, 1989 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्यांक 11)

को वर्ष 1989 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
राज कुमार सुहाजन,
सचिव ।

1989 का अधिनियम संख्यांक 7

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 31 मार्च, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 है ।

धारा 27 का संशोधन ।

1899 का 2

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 27 में आए शब्द और कोष्ठक "वह प्रतिफल (यदि कोई हो)" के स्थान पर "वह प्रतिफल, यदि कोई हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य" शब्द और चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 47-अ का अन्त:-स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"47-अ.—**न्यून मूल्यांकित लिखतों पर कार्यवाही.**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास, किसी सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी किसी लिखत का रजिस्ट्रीकरण करते समय, यह विश्वास करने का कारण हो कि, यथास्थिति, सम्पत्ति का बाजार मूल्य **या प्रतिफल, लिखत** में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है, तो वह, ऐसी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्, यथास्थिति, बाजार मूल्य या प्रतिफल और उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलक्टर को निर्देशित कर सकेगा।

1908 का 16

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी रीति में जांच करने के पश्चात् जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, यथापूर्वोक्त बाजार मूल्य या प्रतिफल और शुल्क अवधारित करेगा और शुल्क की कमी की रकम, यदि कोई हो, शुल्क के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी ।

(3) कलक्टर, स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त उस जिले के रजिस्ट्रार से निर्देश की प्राप्ति पर, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग स्थित है जो लिखत की विषय-वस्तु हैं, किसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर जो उसे उप-धारा (1) के अधीन पहले निर्देशित नहीं की गई हो, यथास्थिति, इसके बाजार मूल्य या प्रतिफल और उस पर संदेय शुल्क के सहीकरण के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए, लिखत को मंगवाएगा

1908 का 16

और उसका परीक्षण करेगा और यदि, ऐसे परीक्षण के पश्चात्, उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में बाजार मूल्य या प्रतिफल सही तौर पर उपवर्णित नही किया गया है, तो वह उप-धारा (2) में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार, यथापूर्वोक्त, बाजार मूल्य या प्रतिफल और शुल्क अवधारित कर सकेगा, और शुल्क की कमी की रकम, यदि कोई हो, शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी :

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी भी लिखत को लागू नहीं होगी ।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन कलक्टर द्वारा मंगवाया गया मूल दस्तावेज किसी कारण से पेश नहीं किया जाता है या पेश नहीं किया जा सकता हो, वहां कलक्टर, इसको पेश न किए जाने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दस्तावेज की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति मंगवा सकेगा और उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन, कलैक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा और ऐसी सभी अपीलों की सुनवाई और निपटारा, ऐसी रीति में किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(6) इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का "बाजार मूल्य" वह मूल्य प्रकलित किया जाएगा जितने में ऐसी सम्पत्ति, यथास्थिति, कलक्टर या अपील प्राधीकारी की राय में बिकी होती, यदि वह, ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण से संबंधी लिखत के निष्पादन की तारीख को, खुले बाजार में बेची जाती ।"

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।